

13/2/25

पञ्जावली वास्वे निधि फेरा दुपि उयय फर  
उप। पार पारी खारिज डिम जाता हें विस्तार  
निधि अलग से लिखाम जात शाक्ति डिम  
गभा डिही जरी लो नंबर से फ्य ह्य

निधि तुलना गभा

उपखण्ड अधिकारी  
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS  
2025/00277



न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला-श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारी-सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण सं.-267/2015 GCMS:- 2015/00277

दायरा दिनांक :- 08.10.2015

--: अनवान :-

1.सुगनाराम पुत्र गोविन्दराम जाति नायक निवासी उदयपुर गोदारान तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

-वादी

बनाम

1.राजस्थान सरकार बजरिये प्रतिनिधि भू-धारक तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

—प्रतिवादी



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88, 209 राज0काश्तकारी अधिनियम-1955

उपस्थित:-1.श्री रामप्रताप तिवाड़ी, श्री रामकुमार वर्मा अधिवक्ता वादी

2.पैरोकार राज

--: निर्णय :-

दिनांक :-17.02.2025

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। बहस सुनी गई। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी को रोही उदयपुर तहसील सूरतगढ़ के खसरा संख्या 10/7 में 41.00 बीघा भूमि आरजी काश्त आवंटन थी। वादी को आवंटन के समय ही रोही उदयपुर के खसरा संख्या 10/7 की 41.00 बीघा आरजी काश्त आवंटित भूमि का कब्जा तत्कालीन पटवारी द्वारा रोही उदयपुर सादानी के खसरा संख्या 11/5 की 25.00 बीघा भूमि का दिया गया। आवंटन के समय जहां कब्जा दिया गया, वादी उसी रकबा पर आरजी काश्तकार के रूप से काबिज है। आरजी काश्तकार एवं उपनिवेशन क्षेत्र से मुक्त होने से वादी कब्जाशुदा भूमि का खातेदार कृषक घोषित करवाना चाहता है। वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। पैरोकार राज को राज्य पक्ष की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत करने हेतु कुल 23 अवसर लगभग 03 वर्ष की अवधि में देने के उपरान्त नहीं देने के पश्चात् जवाब दावा बंद किया जाकर साक्ष्य वादी हेतु पत्रावली नियत की गई। वादी ने उपस्थित होकर साक्ष्य वादी में स्वयं का लिखित शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर पैरोकार राज द्वारा जिरह नहीं करने पर जिरह बंद की गई तथा साक्ष्य वादी और नहीं करवाने पर साक्ष्य वादी बंद किया गया। साक्ष्य प्रतिवादी प्रस्तुत नहीं होने साक्ष्य प्रतिवादी बंद कर बहस सुनी गई।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। योग्य अधिवक्ता वादी ने बताया कि वादी को रोही उदयपुर तहसील सूरतगढ़ के खसरा संख्या 10/7 में 41.00 बीघा भूमि आरजी काश्त पर आवंटन की गई थी। वादी को आवंटन के समय से ही रोही उदयपुर के खसरा संख्या 10/7 की 41.00 बीघा आरजी काश्त आवंटन की भूमि का कब्जा तत्कालीन पटवारी द्वारा रोही उदयपुर सादानी के खसरा संख्या 11/5 की 25.00 बीघा

उपखण्ड अधिकारी  
सूरतगढ़ (राज.)

भूमि का दिया गया था। आवंटन के समय जहां वादी को कब्जा दिया गया। वादी उसी रकबा पर आरजी काश्तकार की हैसियत से काबिज है। वादी ने जानबुझकर किसी प्रकार का कब्जा नहीं किया है एवं राजस्व कर्मी द्वारा जहां पर कब्जा दिया गया। वादी वहीं पर ही काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। वादी ने प्रतिवादी से आवंटित भूमि के स्थान पर रोही उदयपुर सादानी के खसरा संख्या 11/5 की 25.00 बीघा आरजी काश्त दुरस्त कर खातेदारी प्रदान करने हेतु निवेदन किया। किन्तु वे इससे इन्कारी हो गये। इसलिये यह वाद प्रस्तुत किया गया। वादी राज्य सरकार व उपनिवेशन आयुक्त द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार काश्तकार का आवंटन से इतर भूमि पर कब्जा दिये जाने पर एवं कब्जा के परिवर्तन पर मुताबिक कब्जा आवंटन दुरस्त करवाकर उसी अनुसार आवंटन मानकर खातेदार कृषक घोषित करवाना चाहता है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जावे।



अधिराज ने बताया कि वादी का उसे आवंटित भूमि का ही कब्जा दिया गया था। वादी द्वारा बिना आधार यह दावा प्रस्तुत किया गया है। वाद वादी निरस्त किया जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी ने वाद में अंकित किया है कि वादी को रोही उदयपुर तहसील सूरतगढ़ के खसरा नं. 10/7 में 41.00 बीघा भूमि आरजी काश्त पर आवंटन की गई थी तथा उक्त भूमि का कब्जा तत्कालीन पटवारी द्वारा रोही उदयपुर सादानी के खसरा नं. 11/5 की 25.00 बीघा भूमि का दिया गया। इसलिये उक्त खसरा को आवंटि मानकर कब्जाशुदा भूमि का खातेदार कृषक घोषित किया जावे। जबकि वादी ने खसरा नं. 10/7 की 41.00 बीघा भूमि आवंटन का कोई साक्ष्य/आवंटन पट्टा अपने तर्क की ताईद में प्रस्तुत नहीं किया है। वादी द्वारा साक्ष्य के साथ ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे उनको आवंटित भूमि के अलावा जैरवाद रकबा का कब्जा दिया गया है, ऐसा प्रतीत हो। मात्र कथन से ही वादी को भूमि आवंटन होना तथा आवंटित भूमि के दीगर अन्य भूमि का कब्जा सौंपा जाना नहीं माना जा सकता है। वादी अपने कथनों को दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों से साबित करना होता है। किन्तु वादी ने ऐसा कोई साक्ष्य/सबूत प्रस्तुत नहीं किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से साबित होता है कि वादी खसरा संख्या 11/5 के रकबा पर अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है तथा उक्त वाद प्रस्तुत कर बेदखली की कार्यवाही से बचना चाहता है। अतः वाद वादी निरस्त किया जाकर वादी पर 2000/- रुपये कोस्ट अधिरोपित किया जाना हम उचित समझते हैं।

अतः उपर्युक्त विवेचन अनुसार वाद वादी कोस्ट रुपये 2000/- अखरे दो हजार मात्र पर निरस्त किया जाता है। वादी उक्त अधिरोपित कोस्ट की राशि तहसीलदार सूरतगढ़ के समक्ष राजकोष में जमा करवायें। तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ को निर्णय प्रति प्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि उक्त वादग्रस्त आराजी राज भूमि पर यदि वादी का कब्जा है तो अतिक्रमी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर बेदखल करें। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फौसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.02.2025 को खुले न्यायालय मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सन्दीप कुमार)  
उपसहायक कलेक्टर द्वारा  
सूरतगढ़ अधिकारी  
सूरतगढ़

(आदेश 21 नियम 6-7 जाब्ता दीवानी)

-:परचा डिक्री:-

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

(पीठासीन अधिकारी :-सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.)

-: अनवान :-

1.सुगनाराम पुत्र गोविन्दराम जाति नायक निवासी उदयपुर गोदारान तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

-वादी



बनाम

राजस्थान सरकार बजरिये प्रतिनिधि भू-धारक तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

—प्रतिवादी

वाद पत्र धारा-88,209 आर.टी.एक्ट मुकदमा नं. 267 वर्ष 2015 यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादी श्री रामप्रताप तिवाड़ी एवं श्री रामकुमार वर्मा एवं पैरोकार राज के हाजिर होने पर हुकम दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि:-

“ वाद वादी कोस्ट रूपये 2000/- अखरे दो हजार मात्र पर निरस्त किया जाता है। वादी उक्त अधिरोपित कोस्ट की राशि तहसीलदार सूरतगढ़ के समक्ष राजकोष में जमा करवायें। तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ को निर्णय प्रति प्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि उक्त वादग्रस्त आराजी राज भूमि पर यदि वादी का कब्जा है तो अतिक्रमी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर बेदखल करें।”

नोज.....x.....मुबलिंग.....x.....बाबत.....x.....खर्चा इस मुकदमें मे मय सूद बशरह.....x.....फस्टों की पालना.....x..... आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 17.02.2025 को जारी की गई।

(सन्दीप कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी  
सूरतगढ़ जिला (राज.)  
सूरतगढ़